रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2285] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937
No. 2285] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2869(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य का नाम कर्नाटक राज्य में उडुपि जिला के कुंडापुर तालुक में अवस्थित वन्य जीव अभयारण्य के मध्य भाग में अवस्थित कोलूर में प्रसिद्ध मूनकांबिका मंदिर के अधिष्ठाता मूनकांबिका देवी के नाम पर रखा गया है और **13° 42'** और **13° 59'** उत्तरी अक्षांश और **74° 39'** से **74° 50'** पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है तथा **394.65** वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या ए एफ डी 48 एफ डब्ल्यू एल 74 तारीख 22 मई, 1978 को अधिसूचित किया गया था ।

मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों तक फैला हुआ है और भू-भाग साधारणत: पहाड़ी और लहरदार है । वन्यजीव अभयारण्य की ऊंचाई जनालेने आरएफ के पास इदुर में 50 मीटर औसत समुद्र स्तर से अधिक से लेकर कुड्डाचादरी में 1343 मीटर औसत समुद्र स्तर से अधिक है । मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य में वर्षा का वितरण असमान है, परंतु यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करता है और वार्षिक औसत वृष्टिपात 6000 मिली मीटर के आसपास है ।

मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य का उपर्युक्त भू-भाग, ऊंचाई और वर्षा वितरण, वन के प्रकार फुटहिल्स के निचली ऊंचाई पर आर्द्र पतझड़ी वन से मध्य ऊंचाई पर पश्चिम तटीय अर्द्ध सदाबाहरी वन और पश्चिम तटीय उष्ण सदाबाहरी वन से शोला ग्रासलैंड तक अधिक ऊंचाई पर है। इस प्रकार मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख वन के प्रकार पश्चिम तटीय ऊष्ण सदाबाहरी वन (1ए/सी4), पश्चिम तटीय अर्द्ध सदाबाहरी वन (2ए/सी2), दक्षिणी गौण आर्द्र मिश्रित पतझड़ी वन (3बी/सी2/2एस1) और शुष्क घास भूमि (5डीएस4) है।

मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य जीव जंतु प्रजातियां स्पॉटिड डीयर, सांभर डीयर, इंडियन गोर, बार्किंग डीयर, माउस डीयर, जंगली सूअर, भारतीय साहू (शाकाहारी प्रजातियां) इत्यादि हैं। मांसाहारी प्रजातियों के अंतर्गत चीता, तेंदुआ, काला तेंदुआ, जंगली कुत्ता, धारीदार लकड़बग्घा और सियार है। प्राइमेट्स के अंतर्गत संकटापन्न लॉयन-टेल मकैक, बोनेट मकैक और कॉमन लंगूर इत्यादि हैं। अन्य जीव जंतु संबंधी प्रजातियों के अंतर्गत स्लॉथ बेयर, मालावार जांइट गिलहरी, उड़न गिलहरी लैंड मानीटर छिपकली, केनटर्टल (दुर्लभ प्रजातियां, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं)। सुमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ-साथ मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य मालाबार सिवैट कैट के लिए शेष बचे हुए वनों और पर्यावास में से एक रहता है, जो केरला और कर्नाटक के कुछ स्थानों तक स्थानिकत: प्रतिबंधित समझा जाता है और आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियां घोषित की गई हैं। कुछ सरिसृपों के अंतर्गत किंगकोबरा, राक पायथुन, इंडियन कोबरा बैंबू पिट वाइपर इत्यादि हैं। पक्षी जीवजंतु संबंधी प्रजातियों के अंतर्गत ग्रेट हार्नबिल, मालावार ग्रे हार्नबिल, मालावार पाइड हार्नबिल, मालावार लार्क, मालावार ट्रोगोन इत्यादि हैं।

और, मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में मूनकंबिका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से चारों ओर 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को मूनकंबिका वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में उडुपि जिले के कुंडापुर ताल्लुक में स्थित है। पारिस्थितिक संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर के विस्तार तक 168.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ऐसे जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध 1 पर है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशान्तर मानचित्र **उपाबंध 3** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) पारिस्थतिक संवेदी जोन के साथ-साथ अभयारण्य पर मुख्य स्थल (जीपीएस बिंदु) **उपाबंध III** क के रुप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों के सुधार के कारक तथा पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

(9) कर्नाटक राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए पृथक जोनल महायोजना तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 12, 18, 24, 29 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(क) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ख) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण ;

(ग) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(घ) वर्षा जल संचयन; और

(ड.) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत --** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों तथा राष्ट्रीय व्याध्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यटन मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की एक किलोमीटर सीमा के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के;

परंतु मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ; और

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां** (क) विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित विद्यमान उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्र्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

	ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग अनुज्ञात विधि के अनुसार जारी रहेंगे : परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनके अवसान की अवधि पर नहीं किया जाएगा।
(10)	वायु मिलों का परिनिर्माण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	प्लास्टिक कैरी बैग, कप, लैमिनेट्स और टैटरापैक का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई भी व्यक्ति कैरी बैग और प्लास्टिक कप का प्रयोग नहीं करेगा। प्लास्टिक की वस्तुएं लैमिनेट्स और टैट्रापैक के निपटान का विनियमन और मानीटरी सख्ती से की जाएगी।
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थानों के । तथापि, एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरुप किया जाएगा।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ; (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे; (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर आगे और इसके विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
(14)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(16)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत केबल को बढ़ावा देना। (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जोनल महायोजना के अधीन विहित निर्देशों के अनुसार या मॉनीटरी समिति की सिफारिशों के अनुसार विद्युत

		पोल का परिनिर्माण किया जा सकता है; (iii) विद्यमान घरेलू लाइनें यदि स्लोप<20 डिग्री के लिए ओवर ग्राउंड 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और स्लोप > 30 डिग्री के लिए भूमि से तीस फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए ; (iv) घरेलू प्रयोजनों के लिए भविष्य में विद्युत लाइनें बिछाने के लिए 11 के.वी. तक भूमिगत किया जाना है । (v) 11 के.वी. से अधिक किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए दो टावरों के बीच "सैग" प्वांइट भूमि से कम से कम एक मीटर ऊपर होना चाहिए । (vi) 11 के.वी. से अधिक किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए दो टावरों के बीच "सैग" प्वांइट भूमि से सुरक्षित दूरी पर होने चाहिए ।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
(19)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	वाणिज्यिक उद्देय के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव की रिसाइकिलिंग प्रोत्साहित की जाएगी और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट का निपटान करने के लिए विद्यमान विनियमों का अनुसरण किया जाएगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(25)	वन उत्पाद और गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप :	
(28)	डेयरी, डेयरी उद्योग, और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	तथापि, इन कुछ क्रियाकलापों का अत्यधिक विस्तार महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाए ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।

5. मानीटरी समिति-

केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्नाटक राज्य में पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i. क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर - अध्यक्ष ;

ii. कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

iii. कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

iv. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;

v. पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले किसी एनजीओ का प्रतिनिधि, जिसको कर्नाटक सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

vi. पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

vii. उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, शिमोगा – सदस्य ;

viii. उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, उडुपी – सदस्य ;

ix. सागर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

x. थिरथाहाली निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

xi. बिन्दूर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

xii. कुन्डापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

xiii. उप वन संरक्षक, कुदरीमुख वन्यजीव प्रभाग करकाला - सदस्य-सचिव ।

* (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करते हुए, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, विधान सभा, कर्नाटक से अनुज्ञा है, यदि अपेक्षित हो, के अध्यधीन)

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/142/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

मूनकंबिका वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं

उत्तर : सीमा एडमलेगुडा से प्रारंभ होते हुए हल्लीमरडिबारे आर एफ सीमा रेखा से गुजरती हुई दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और मडडीबरगुडा पहुंचती है। इसके अतिरिक्त सीमा पूर्व की ओर गुजरते हुए मैजनीवैली आर एफ की सीमारेखा की ओर जाती है और करनी आर एफ ट्राइजंक्शन बिंदु पर पहुंचती है । चूंकि समीतवर्ती क्षेत्र शरावती वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है, सीमा रेखा मूनकंबिका वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है और इस प्रकार पारिस्थतिक संवेदी जोन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया है इस प्रकार पारिस्थतिक संवेदी जोन सीमा रेखा करनी आर एफ की सीमारेखा को उत्तर में काटती हुई गुजरती है तथा कनगोड के पास स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है। इससे आगे सीमारेखा उत्तरपूर्व की ओर काटते हुए गुजरती है और बरलाहोल पहुंचती है। तत्पश्चात् रेखा नागोडी होल के साथ-साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है। हुलगरगुडा के समीप हुनारमन्य आर एफ की आर एफ सीमा के स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है। इससे आगे रेखा हुनारमन्य आर एफ की आंतरिक सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और केनामक्कीगुडडा के समीप स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है।

पूर्व : रेखा दक्षिण की ओर तिरछी गुजरती है और मरकटीके होल पहुंचती है। इससे आगे रेखा नदी के साथ-साथ तिरछी गुजरती है। तत्पश्चात् रेखा पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और कटीनाहोल नामक स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है। इससे आगे रेखा पूर्व की ओर नाला के साथ तिरछी गुजरती है और मटठीकाए आर एफ सीमा पहुंचती है। बाद में, रेखा मटठीकाए आर एफ के साथ पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और तब रेखा दक्षिण पूर्व की ओर गुजरते हुए आर एफ सीमा के साथ-साथ कब्बिनहोल को पार करती है और कुंडगल के समीप स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है। इससे आगे रेखा दक्षिण पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और बिस स्टेट की ओर राज्यवन सीमा पहुंचती है और बिस स्टेट की ओर राज्यवन सीमा के साथ तिरछी गुजरती हुई करीमने के समीप नाला पहुंचती है। इससे आगे रेखा दक्षिण की ओर नाला के साथ तिरछी गुजरती है और संपीगोडी गांव सड़क पहुंचती है। इससे आगे रेखा नाला के साथ दक्षिण पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और किलगारो के समीप स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है। इससे आगे रेखा दक्षिण पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती हुई मस्तीकटे सड़क पहुंचती है। इससे आगे रेखा दक्षिण पूर्व की ओर तिरछी गुजरती हुई मनीबेल राज्यवन सीमा को स्पर्श करती है। उसके बाद रेखा ट्राई जंक्शन बिंदु पर पहुंचती है और उससे आगे रेखा दक्षिण पश्चिम की ओर तिरछी गुजरते हुए कंचीकल्लाबी प्रतापों के करीब स्पर्श करती है।

दक्षिण : इससे आगे रेखा वराही आर एफ सीमा के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और मथकलगुडे आर एफ पहुंचती है। इससे आगे रेखा दक्षिण पश्चिम की ओर मथकलगुडे आर एफ के साथ तिरछी गुजरती है और वराही नदी पहुंचती है। चूंकि निकटवर्ती क्षेत्र सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है और इस प्रकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के अतिरिक्त क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया है। इससे आगे रेखा वराही नदी के साथ दक्षिण की ओर तिरछी गुजरती है और हरकेबल के समीप संपूर्ण स्थान पहुंचती है । इससे आगे रेखा उत्तर पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और सूरालडवी आर एफ की सीमा पहुंचती है। तत्पश्चात् रेखा उत्तर की ओर सूरालडवी आर एफ के साथ गुजरती है और हरकेबेलु के समीप नाला पहुंचती है । इससे आगे रेखा उत्तरपूर्व की ओर नाला के साथ तिरछी गुजरती है और डोडिनमनी की आर एफ सीमा पहुंचती है। इससे आगे रेखा डोडिनमनी की आरएफ सीमा के साथ तिरछी गुजरती है और करेगडडे स्थानीय क्षेत्र तत्पश्चात् रेखा करगडडे से बडमने सड़क के साथ गुजरती है और आगे उत्तर की ओर तिरछी गुजरती हुई कुब्जा नदी को स्पर्श करती है। इसके आगे रेखा पश्चिम की ओर कुब्जा नदी के साथ–साथ तिरछी गुजरती है और बेलवानों के समीप स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है। इससे आगे रेखा नाला के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और अजरी निरलकटटे सड़क पहुंचती है। इससे आगे रेखा अजरी निरलकटटे सड़क के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और कमरड्डी होल आर एफ की सीमा पर पहुंचती है। इससे आगे रेखा पश्चिम की ओर सड़क को काटते हुए गुजरती है और मोविंगगुली आरएफ की सीमा में पहुंचती है।

पश्चिम : रेखा उत्तर की ओर मोविंगगुली आरएफ के साथ तिरछी गुजरती है और चक्र नदी से आगे गुजरती है। इससे आगे रेखा वंडसे कसनकटे पैदलपथ के साथ तिरछी गुजरती है और कसनकट्टे आर एफ सीमा पहुंचती है । तत्पश्चात् रेखा कसनकट्टे आर एफ सीमा के साथ-साथ तिरछी गुजरती है और ब्रह्महेरी स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इससे आगे रेखा ब्रह्महेरी अलूरु गांव सड़क के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है। तत्पश्चात् रेखा नाला के साथ उत्तर की ओर तिरछी गुजरती है और हैरुर आर एफ पहुंचती है। तत्पश्चात् रेखा हैरुर आर एफ सीमा के साथ-साथ तिरछी गुजरती है और कपड्डी स्थानीय क्षेत्र के समीप येलूरमाने सड़क को स्पर्श करती है। इससे आगे रेखा येलूरमाने सड़क के साथ तिरछी गुजरती है और येलूर के समीप कोलूर बिंदर सड़क को स्पर्श करती है। तत्पश्चात् रेखा कोलूर बिंदर के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और तब आरेशीरुर – कोडेलकेरी गांव सड़क के साथ तिरछी गुजरती है और गोलीहोल स्थानीय क्षेत्र को स्पर्श करती है। इसके आगे रेखा नालारिचिस स्थानीय क्षेत्र येलजित की ओर गुजरती है। इसके आगे रेखा येलजित-हडगाकिरे गांव सड़क के साथ पश्चिम की ओर गुजरते हुए गुरुवनकोटे आर एफ सीमा को स्पर्श करती है। इसके आगे रेखा गुरुवनकोटे आर एफ सीमा के साथ तिरछी गुजरती है और होसेरी स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है। इसके आगे रेखा उत्तर की ओर तिरछी गुजरती है और कोलिकन पहुंचती है। तत्पश्चात् रेखा हुलुकडगे – कोलिकन गांव सड़क के साथ-साथ तिरछी गुजरती है और हेजालू स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है। इससे आगे रेखा

हुलकागड़े-गंगानाडु सड़क के साथ उत्तर पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और नगरमक्की स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है। इसके आगे रेखा सड़क के साथ उत्तर की ओर तिरछी गुजरती है और कुलानके स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है। इसके बाद रेखा थुडडुहोल के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और किस्मती स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है और तब रेखा नाला के साथ उत्तर की ओर तिरछी गुजरती हुई आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है।

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में पड़ने वाले गांवो की सूची

ब्लॉक **-1** : हुल्लात्ती-हुनासीकट्टी

मान-चित्र आईडी	गांवो के नाम	जिला	तालुक	एरिया हेक्टे में	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणी
1	करनी	शिमोगा	सागर	25.06	74.774078	13.917859	आंशिक गांव
2	कोदानवल्ली	शिमोगा	सागर	478.24	74.785570	13.920751	आंशिक गांव
3	मराती	शिमोगा	सागर	680.62	74.814630	13.914203	आंशिक गांव
4	कोटेशिपुर	शिमोगा	होसनगारा	106.74	74.853157	13.910639	आंशिक गांव
5	नागोदी	शिमोगा	होसनगारा	371.26	74.870897	13.906794	आंशिक गांव
6	मंजागलाले	शिमोगा	होसनगारा	496.88	74.898980	13.896069	आंशिक गांव
7	कट्टीनाहोल	शिमोगा	होसनगारा	564.40	74.920071	13.869653	आंशिक गांव
8	होसर	शिमोगा	होसनगारा	45.42	74.958773	13.874212	आंशिक गांव
9	मट्टीकाई	शिमोगा	होसनगारा	376.51	74.953574	13.862419	आंशिक गांव
10	ब्रह्मनवादा	शिमोगा	होसनगारा	117.09	74.975158	13.817797	आंशिक गांव
11	किलनदुर जंगल	शिमोगा	होसनगारा	160.98	74.975413	13.808224	आंशिक गांव
12	मलाली	शिमोगा	होसनगारा	279.23	74.991234	13.797064	आंशिक गांव
13	करिमाने	शिमोगा	होसनगारा	648.75	75.001781	13.761806	आंशिक गांव
14	खैरुगुण्डा	शिमोगा	होसनगारा	266.43	75.014677	13.740323	आंशिक गांव
15	नीदागोदु	शिमोगा	होसनगारा	17.34	75.025191	13.733756	आंशिक गांव
16	येदामोगे	उदुपी	कुन्दापुरा	999.25	74.960147	13.730161	आंशिक गांव
17	हलीहोल	उदुपी	कुन्दापुरा	28.31	74.944875	13.739573	आंशिक गांव
18	बेल्लाल	उदुपी	कुन्दापुरा	399.32	74.897197	13.714388	आंशिक गांव
19	होसानगादी	उदुपी	कुन्दापुरा	663.61	74.956099	13.681908	आंशिक गांव
20	सिद्दापुर	उदुपी	कुन्दापुरा	212.83	74.928372	13.662011	आंशिक गांव
21	मचाट्टू	उदुपी	कुन्दापुरा	19.13	74.953498	13.658374	आंशिक गांव
22	उल्लुरु	उदुपी	कुन्दापुरा	121.29	74.929725	13.644936	आंशिक गांव
23	अजरी	उदुपी	कुन्दापुरा	552.76	74.864460	13.696406	आंशिक गांव
24	कोदलादी	उदुपी	कुन्दापुरा	101.47	74.821552	13.691403	आंशिक गांव
25	करकुन्जे	उदुपी	कुन्दापुरा	377.63	74.781093	13.697716	आंशिक गांव
26	छित्तुर	उदुपी	कुन्दापुरा	19.60	74.781586	13.699972	आंशिक गांव
27	वानदसे	उदुपी	कुन्दापुरा	81.83	74.756193	13.711402	आंशिक गांव
28	नुजादी	उदुपी	कुन्दापुरा	204.42	74.737587	13.726004	आंशिक गांव
29	आलुरु	उदुपी	कुन्दापुरा	331.88	74.737580	13.753316	आंशिक गांव
30	कलतोदु	उदुपी	कुन्दापुरा	197.54	74.747184	13.771444	आंशिक गांव
31	गोलीहोल	उदुपी	कुन्दापुरा	1080.45	74.765307	13.819723	आंशिक गांव
32	जदकाल	उदुपी	कुन्दापुरा	200.96	74.803557	13.821045	आंशिक गांव
33	येलाजिता	उदुपी	कुन्दापुरा	455.60	74.704271	13.862216	आंशिक गांव
34	मुदीनागाद्दे	उदुपी	कुन्दापुरा	27.05	74.693649	13.895419	आंशिक गांव
35	बिंदुर	उदुपी	कुन्दापुरा	410.69	74.684719	13.918688	आंशिक गांव
			कुल:	**11120.60**			

उपाबंध III

मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ मानचित्र

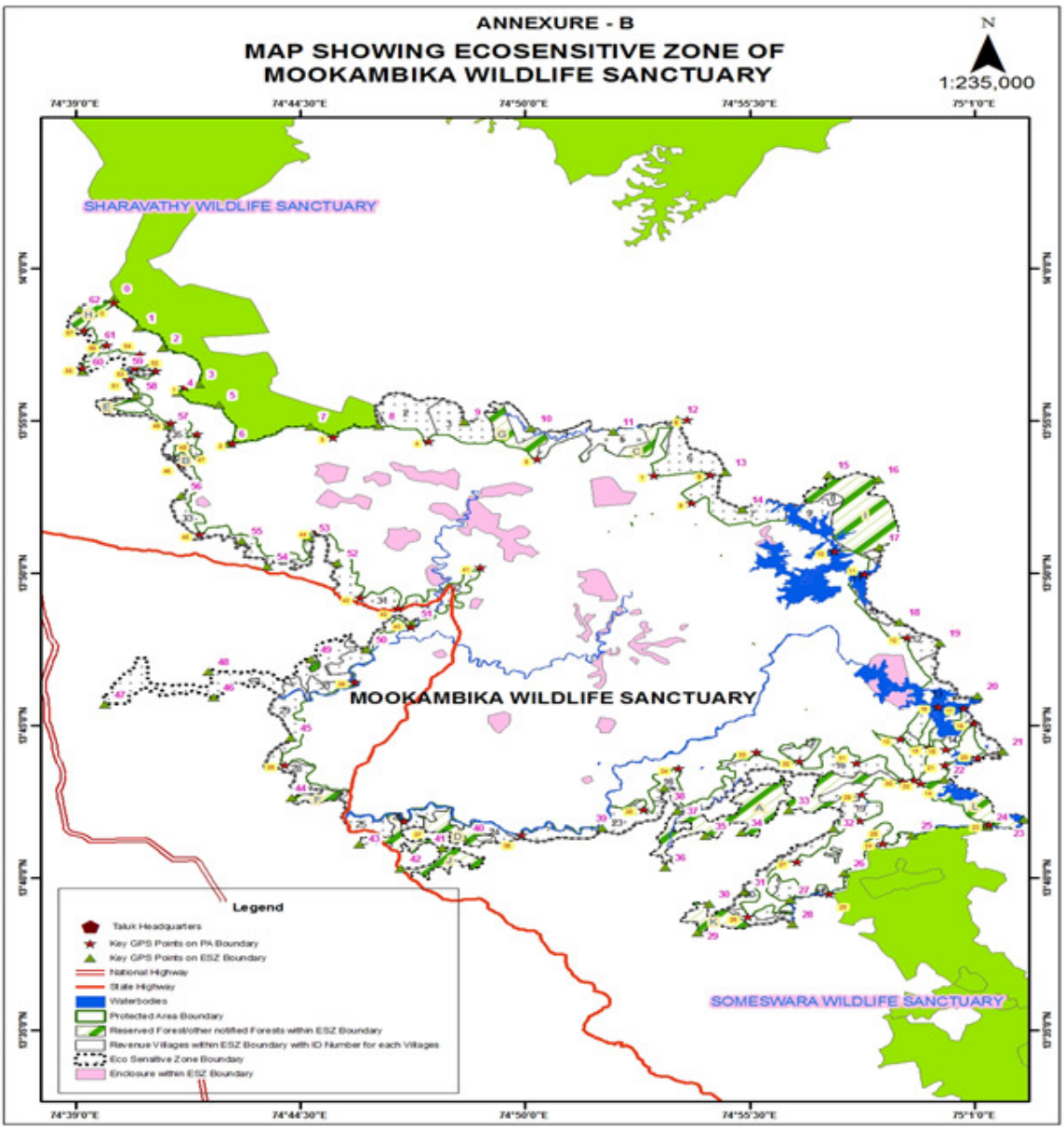

उपाबंध IIIक

मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के स्थान

मानचित्र पर स्थान	अक्षांश डिग्री दशमलव में	देशांतर डिग्री दशमलव में
0	74.665765	13.983695
1	74.675741	13.967760
2	74.685821	13.956388
3	74.700307	13.937045
4	74.691719	13.932367
5	74.708632	13.925406
6	74.712674	13.904277
7	74.745797	13.913589
8	74.773720	13.913848
9	74.808877	13.916162
10	74.835911	13.912460
11	74.869797	13.910884
12	74.895696	13.917524
13	74.915409	13.888587
14	74.922097	13.868287
15	74.957300	13.887194
16	74.977838	13.884481
17	74.978187	13.847397
18	74.986157	13.806779
19	75.002630	13.795084
20	75.018271	13.766109
21	75.028397	13.735651
22	75.004669	13.720241
23	75.037178	13.698490
24	75.022000	13.694493
25	74.991408	13.690115
26	74.963843	13.669293
27	74.941886	13.654688
28	74.942784	13.641393
29	74.904024	13.636494
30	74.908660	13.652516
31	74.923433	13.658790
32	74.959435	13.693638
33	74.941332	13.703551
34	74.921984	13.691443
35	74.907138	13.689714

36	74.890797	13.672402
37	74.895771	13.703367
38	74.890526	13.715598
39	74.864863	13.693968
40	74.808631	13.688381
41	74.799787	13.682938
42	74.782562	13.671604
43	74.765860	13.685114
44	74.738203	13.710297
45	74.738049	13.743441
46	74.706576	13.765302
47	74.661957	13.761704
48	74.704331	13.779577
49	74.746024	13.786066
50	74.768578	13.791751
51	74.787399	13.805940
52	74.757071	13.838887
53	74.745559	13.852877
54	74.728281	13.837050
55	74.717993	13.851121
56	74.693072	13.875716
57	74.687891	13.914062
58	74.674974	13.930432
59	74.669126	13.944157
60	74.653188	13.943746
61	74.658139	13.958295
62	74.651863	13.977703

मूनकांबिका वन्यजीव अभयारण्य ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सीमा के साथ

मानचित्र पर स्थान	अक्षांश डिग्री दशमलव में	देशांतर डिग्री दशमलव में
0	74.665597	13.981297
1	74.694700	13.935135
2	74.713872	13.904355
3	74.755316	13.907681
4	74.794122	13.905541
5	74.838553	13.895593
6	74.899722	13.917087
7	74.886094	13.886744
8	74.909051	13.887318

9	74.901571	13.871599
10	74.959908	13.845383
11	74.972020	13.832608
12	74.989609	13.797874
13	74.986593	13.742559
14	74.992518	13.719951
15	74.998430	13.737618
16	75.002085	13.760280
17	75.012340	13.759249
18	75.005340	13.737003
19	75.016619	13.751217
20	75.018288	13.732285
21	75.004945	13.728293
22	74.994979	13.718223
23	75.022953	13.695735
24	74.979356	13.685478
25	74.957693	13.657924
26	74.924366	13.645105
27	74.944449	13.675265
28	74.970374	13.697837
29	74.970956	13.712209
30	74.987843	13.719489
31	74.968627	13.729395
32	74.945675	13.730352
33	74.928046	13.735256
34	74.896022	13.726358
35	74.881683	13.704067
36	74.832103	13.689830
37	74.784163	13.697581
38	74.735391	13.728392
39	74.764263	13.773862
40	74.787012	13.803616
41	74.815317	13.836451
42	74.781592	13.814247
43	74.766177	13.819807
44	74.748542	13.856044
45	74.700631	13.854416
46	74.693225	13.892459
47	74.695826	13.902708
48	74.699569	13.909264

49	74.689047	13.915287
50	74.662891	13.924900
51	74.672153	13.938896
52	74.682818	13.943977
53	74.674334	13.945442
54	74.676285	13.953074
55	74.652929	13.945291
56	74.662647	13.957985
57	74.653443	13.966192

उपाबंध IV

राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2015

S.O.2869(E).-The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Mookambika Wildlife Sanctuary has been named after goddess "Mookambika" the presiding deity of the famous Mookambika temple at Kollur located in the heart of the Wildlife Sanctuary and situated in Kundapur Taluk of Udupi district in Karnataka state and lies between 13° 42' and 13 ° 59' North Latitude and 74° 39' to 74° 50' East Longitude and spread over an area of 394.65 sq. km. and notified vide Government of Karnataka vide Notification number AFD.48.FWL.74 dated the 22nd May, 1978.

And whereas, the Mookambika Wildlife Sanctuary spreads across the Western slopes of Western Ghats and the terrain is generally hilly and undulating. The altitude of the Wildlife Sanctuary varies from 50 meters above Mean Sea Lever at Idur near Jannalane RF to 1343 meters above Mean Sea Lever at Kodachadri. The distribution of rainfall at Mookambika Wildlife Sanctuary is very uneven, but it receives torrential downpour from the South-West monsoon and the annual average precipitation is close to 6000 millimetre.

And whereas, with the above mentioned terrain, elevation and rainfall distribution, the forest types of Mookambika Wildlife Sanctuary varies from Moist Deciduous Forest at the lower altitude of foot hills to West Coast Semi-Evergreen forest and West Coast Tropical Evergreen Forest at mid-altitude to Shola Grass land at higher altitude. Thus the major forest types of Mookambika Wildlife Sanctuary are West Coast Tropical Evergreen Forest (1A/C4), West Coast Semi-Evergreen forest (2A/C2), Southern Secondary Moist Mixed Deciduous Forest (3B/C2/2S1) and Dry Grass lands (5 DS 4).

And whereas, major faunal species of Mookambika Wildlife Sanctuary are Spotted Deer, Sambar Deer, Indian Guar, Barking Deer, Mouse Deer, Wild Pig, Indian Porcupine (herbivore species) etc. Carnivore includes Tiger, Leopard, Black Panther, Wild Dog, Striped, Hyena and Jackal. Primates include endangered Lion-Tail Macaque, Bonnet Macaque and Common Langur etc. Other faunal species includes Sloth Bear, Malabar Giant Squirrel, Flying Squirrel, Land Monitor Lizard, Cane Turtle (rare species, on the verge of extinction). Along with Someshwara Wildlife Sanctuary, Mookambika Wildlife Sanctuary also remains one of the last remaining forest or habitat for Malabar Civet Cat, which is considered as endemic restricted to few places of Kerala & Karnataka and declared as Critically Endangered species by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Some of the reptiles include King Cobra, Rock Python, Indian Cobra, Bamboo Pit Viper etc. Avifaunal species includes Great Hornbill, Malabar Grey Hornbill, Malabar Pied Hornbill, Malabar Lark, Malabar Trogon etc. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Mookambika Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, floral, faunal, geographical associations or importance and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 10 kilometres around the boundary of Moonkambika Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Moonkambika Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) Mookambika Wildlife Sanctuary is situated at the Kundapur Taluk of Udupi district in the State of Karnataka. The eco-sensitive zone is spread over an area of 168.23 sqare kilometre with an extent upto 10 kilometres from the boundary of sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure- III.**

(4) Key locations (Global Positioning System points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-III A** .

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Karnataka State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation; and
(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(a) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
(b) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(c) Small scale industries not causing pollution;
(d) Rainwater harvesting; and
(e) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Moonkambika Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Area till the extend of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in the pre-defined and designated area for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture; and

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:

		Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Erection of wind mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
11.	Use of Plastic carry bags, cups, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. No person shall use carry bags and plastic cups within the Eco-Sensitive Zone. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3; (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the

		Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling; (ii) Electric polis can be erected within the Eco-sensitive Zone as per the prescriptions under the Zonal Master Plan or with the recommendation of monitoring committee; (iii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground; (iv) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground; (v) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at least 1 metres from the; (vi) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5.Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka , which shall comprise of the following, namely:-

i. Regional Commissioner, Mysore – Chairman;

ii. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;

iii. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka - Member;

iv. Representative of Karnataka State Pollution Control Board - Member;

v. A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case -Member;

vi. An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case - Member;

vii. Deputy Commissioner or his representative, Shimogga – Member;

viii. Deputy Commissioner or his representative, Udupi –Member;

ix. Member from Legislative assembly from Sagar constituency – Member;

x. Member from Legislative assembly from Thirthahalli constituency – Member;

xi. Member from Legislative assembly from Byndoor constituency – Member;

xii. Member from Legislative assembly from Kundapur constituency – Member;

xiii. The Deputy Conservator of Forests, Kudremukh Wildlife Division, Karkala - Member Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference:-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/142/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI,Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARIES OF MOONKAMBIKA WILDLIFE SANCTUARY

North: The boundary starts at the Edamalegudda runs along the Hulimurdibare RF boundary line towards South East and reaches the Madibaregudda. Further, the boundary passes toward East runs along the boundary line of Meginivalley RF and reaches the tri-junction point Karni RF. Since the adjacent area belongs to Sharavathi Wildlife Sanctuary, boundary line passes along the Mookambika Wildlife Sanctuary boundary and thus additional area for Eco sensitive zone has not been considered**.** Thus, eco-sensitive zone boundary line traverses towards North along the boundary line of Karni RF and reaches the locality near Kangod. Further, the line traverses towards North East and reaches Burlahole. Then the line traverses towards West along the Nagodi Hole and reaches the R.F. boundary of Honnarmane RF at the locality near Hulagarugudda. Further the line traverses towards east along the Honnarmane RF inner boundary and reaches the locality near Kenemakkigudda.

East: The line traverses towards South and the reaches Markattike Hole. Further the line traverses along the river. Then the line traverses towards East and reaches locality called Kattinahole. Further, the line traverses toward east along the Nala and reaches the Mathikai RF boundary. Later, the line traverses along the Mathikai RF towards East and then the line traverses South East passes the Kabbinhole along the RF boundary and reaches the locality near Kundgal. Further the line traverses towards South East and reaches the Bise State Forest boundary and traverses along the Bise State forest boundary and reaches the Nala near Karimane. Further the line traverses along the Nala towards south and reaches Sampigodi village road. Further the line traverses towards South East along the Nala reaches the locality near Kilgaru. Further the line traverses towards South West and reaches Mastikatte road. Further the line traverses towards South-East and touches the manibail State Forest boundary. Then the line reaches the Tri-junction point, further the line traverses towards South West and touches near Kanchikalabbi falls.

South: Further the line traverses towards West along Varahi RF boundary and reaches Mathkalgudde RF. Further the line traverses along the Mathkal Gudde RF towards South West and reaches Varahi River. Since the adjacent area belongs to Someshwara Wildlife Sanctuary and thus additional area for Eco-sensitive zone has not been considered. Further the line traverses towards South along Varahi River and reaches the locality Sannahole near Harkebal. Further the line traverses towards North West and reaches the boundary of Suralaadavi RF. Then the line runs along Suralaadavi RF towards North and reaches Nala near Harkebailu. Further the line traverses along the Nala towards North East reaches the RF boundary of Doddinmane. Further the line traverses along the RF boundary of Doddinmane and reaches the locality Karegadde. Then the line runs along the karegadde to Badamane road and further traverses towards North and touches Kubja River. Further the line traverses along the Kubja River towards West and reaches the locality near Beluvana. Further the line traverses towards West along the Nala and reaches Ajri-Neralakatte road. Further the line traverses towards West along the Ajri-Nelralekatte Road and reaches the boundary of Kamradihole RF boundary. Further the line traverses along the road towards west and reaches boundary of Mavinguli R.F.

West: The line traverses along Mavinaguli RF towards North and passes Chakra River. Further the line traverse along Vandse- Kasankatte foot path and reaches the Kasanakatte RF boundary. Then the line traverse all along the Kasanakatte RF boundary and reaches Brahmeri locality. Further the line traverses towards West along the Brahmeri-Aluru Village road. Then the line traverses North along the Nala and reaches Herur RF. Then the line traverse all along the Herur RF boundary and touches Yellurmane road near locality Kappadi. Further the line traverses along the Yellurmane raod and touches Kollur-Byndur road near Yellur. Then the line traverse towards west along the Kollur-Byndur Road and then traverse along Areshiroor-kodailkeri village road and touches locality Golihole further the line travels along the nalareaches locality Yeljith. Further the line travels towards West along Yeljith-Hadagikere village road then touches Guruvanakote RF boundary Further the line traverses along the Guruvankote RF boundary and reaches the locality Hoseri. Further the line traverses towards North and reaches Kollikan. Then the line traverses all along the hullukadage-Kollikan village road and reaches locality Hejjalu. Further the line traverses towards North West along the Hullukadage-Ganganadu road and reaches locality Nagarmakki. Further the line traverses towards North along the road and reaches the locality Kulanke. Further the line traverse towards West along the Thooduhole River and reaches locality Kismatti and then the line traverse towards north along the nala and reaches the starting point.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF MOONKAMBIKA WILDLIFE SANCTUARY

BLOCK -1 : Hullatti-Hunasikatti

Map ID	Name of the village	District	Taluk	Area in Ha	Longitude	Latitude	Remarks
1	Karni	Shimoga	Sagar	25.06	74.774078	13.917859	Partial Village
2	Kodanavalli	Shimoga	Sagar	478.24	74.785570	13.920751	Partial Village
3	Marati	Shimoga	Sagar	680.62	74.814630	13.914203	Partial Village
4	Koteshipur	Shimoga	Hosanagara	106.74	74.853157	13.910639	Partial Village
5	Nagodi	Shimoga	Hosanagara	371.26	74.870897	13.906794	Partial Village
6	Manjagalale	Shimoga	Hosanagara	496.88	74.898980	13.896069	Partial Village
7	Kattinahole	Shimoga	Hosanagara	564.40	74.920071	13.869653	Partial Village
8	Hosur	Shimoga	Hosanagara	45.42	74.958773	13.874212	Partial Village
9	Mattikai	Shimoga	Hosanagara	376.51	74.953574	13.862419	Partial Village
10	Brahmanavada	Shimoga	Hosanagara	117.09	74.975158	13.817797	Partial Village
11	Kilandur Jungle	Shimoga	Hosanagara	160.98	74.975413	13.808224	Partial Village
12	Malali	Shimoga	Hosanagara	279.23	74.991234	13.797064	Partial Village
13	Karimane	Shimoga	Hosanagara	648.75	75.001781	13.761806	Partial Village
14	Khyrugunda	Shimoga	Hosanagara	266.43	75.014677	13.740323	Partial Village
15	Nidagodu	Shimoga	Hosanagara	17.34	75.025191	13.733756	Partial Village
16	Yedamoge	Udupi	Kundapura	999.25	74.960147	13.730161	Partial Village
17	Halihole	Udupi	Kundapura	28.31	74.944875	13.739573	Partial Village
18	Bellal	Udupi	Kundapura	399.32	74.897197	13.714388	Partial Village
19	Hosangadi	Udupi	Kundapura	663.61	74.956099	13.681908	Partial Village
20	Siddapur	Udupi	Kundapura	212.83	74.928372	13.662011	Partial Village
21	Machattu	Udupi	Kundapura	19.13	74.953498	13.658374	Partial Village
22	Ulluru	Udupi	Kundapura	121.29	74.929725	13.644936	Partial Village
23	Ajri	Udupi	Kundapura	552.76	74.864460	13.696406	Partial Village
24	Kodladi	Udupi	Kundapura	101.47	74.821552	13.691403	Partial Village
25	Karkunje	Udupi	Kundapura	377.63	74.781093	13.697716	Partial Village
26	Chittur	Udupi	Kundapura	19.60	74.781586	13.699972	Partial Village
27	Vandse	Udupi	Kundapura	81.83	74.756193	13.711402	Partial Village
28	Nujadi	Udupi	Kundapura	204.42	74.737587	13.726004	Partial Village
29	Aluru	Udupi	Kundapura	331.88	74.737580	13.753316	Partial Village
30	Kaltodu	Udupi	Kundapura	197.54	74.747184	13.771444	Partial Village
31	Golihole	Udupi	Kundapura	1080.45	74.765307	13.819723	Partial Village
32	Jadkal	Udupi	Kundapura	200.96	74.803557	13.821045	Partial Village
33	Yelajita	Udupi	Kundapura	455.60	74.704271	13.862216	Partial Village
34	Mudinagadde	Udupi	Kundapura	27.05	74.693649	13.895419	Partial Village
35	Byndoor	Udupi	Kundapura	410.69	74.684719	13.918688	Partial Village
			Total:	**11120.60**			

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOONKAMBIKA WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES

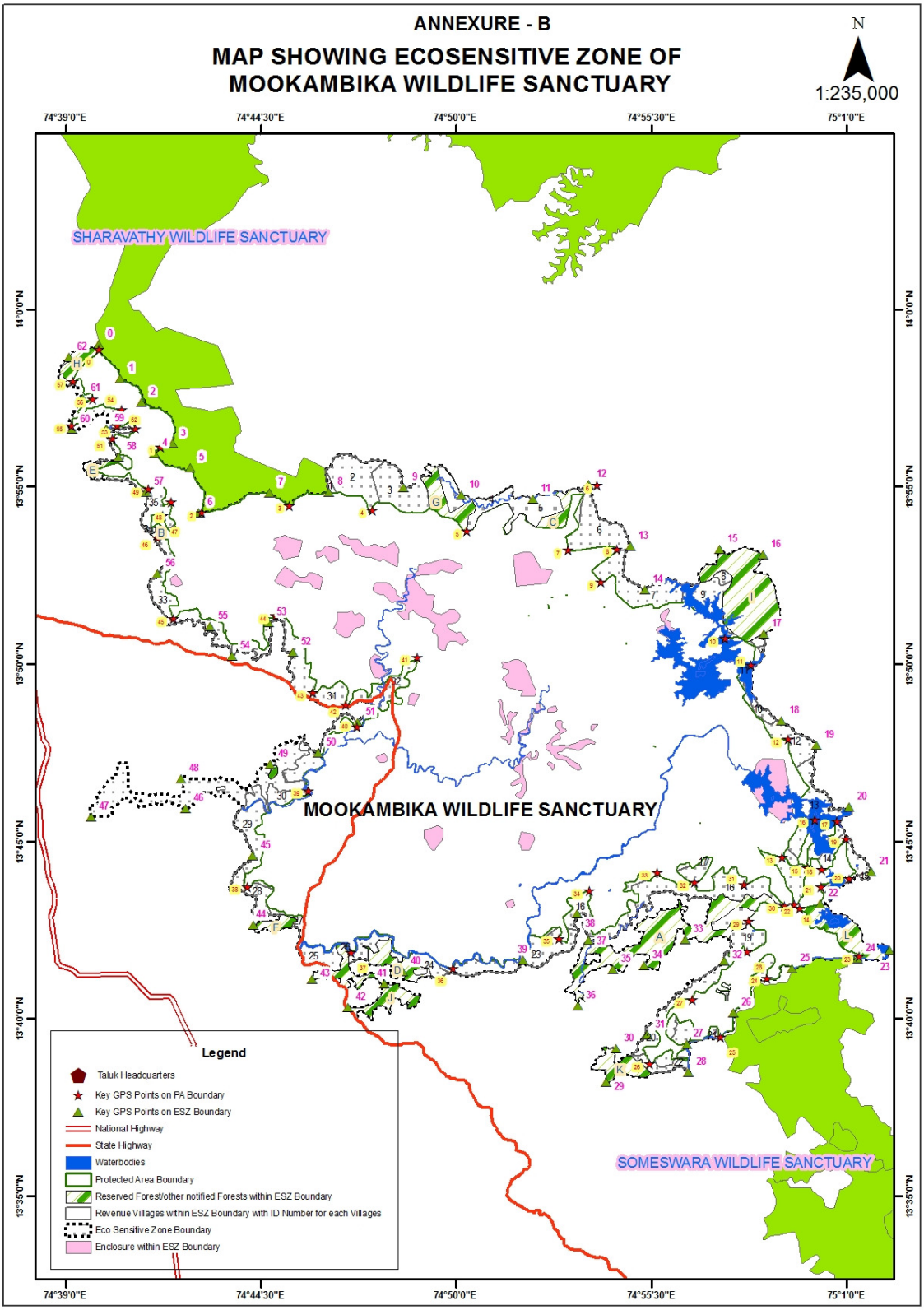

Annexure-III A

GPS locations along the Mookambika Eco-Sensitive Zone boundary

Location on the Map	Latitude in degree decimal	Longitude in degree decimal
0	74.665765	13.983695
1	74.675741	13.967760
2	74.685821	13.956388
3	74.700307	13.937045
4	74.691719	13.932367
5	74.708632	13.925406
6	74.712674	13.904277
7	74.745797	13.913589
8	74.773720	13.913848
9	74.808877	13.916162
10	74.835911	13.912460
11	74.869797	13.910884
12	74.895696	13.917524
13	74.915409	13.888587
14	74.922097	13.868287
15	74.957300	13.887194
16	74.977838	13.884481
17	74.978187	13.847397
18	74.986157	13.806779
19	75.002630	13.795084
20	75.018271	13.766109
21	75.028397	13.735651
22	75.004669	13.720241
23	75.037178	13.698490
24	75.022000	13.694493
25	74.991408	13.690115
26	74.963843	13.669293
27	74.941886	13.654688
28	74.942784	13.641393
29	74.904024	13.636494
30	74.908660	13.652516
31	74.923433	13.658790
32	74.959435	13.693638
33	74.941332	13.703551
34	74.921984	13.691443
35	74.907138	13.689714
36	74.890797	13.672402
37	74.895771	13.703367
38	74.890526	13.715598
39	74.864863	13.693968
40	74.808631	13.688381

41	74.799787	13.682938
42	74.782562	13.671604
43	74.765860	13.685114
44	74.738203	13.710297
45	74.738049	13.743441
46	74.706576	13.765302
47	74.661957	13.761704
48	74.704331	13.779577
49	74.746024	13.786066
50	74.768578	13.791751
51	74.787399	13.805940
52	74.757071	13.838887
53	74.745559	13.852877
54	74.728281	13.837050
55	74.717993	13.851121
56	74.693072	13.875716
57	74.687891	13.914062
58	74.674974	13.930432
59	74.669126	13.944157
60	74.653188	13.943746
61	74.658139	13.958295
62	74.651863	13.977703

GPS locations along the Mookambika Wildlife Sanctuary boundary

Location on the Map	**Latitude in degree decimal**	**Longitude in degree decimal**
0	74.665597	13.981297
1	74.694700	13.935135
2	74.713872	13.904355
3	74.755316	13.907681
4	74.794122	13.905541
5	74.838553	13.895593
6	74.899722	13.917087
7	74.886094	13.886744
8	74.909051	13.887318
9	74.901571	13.871599
10	74.959908	13.845383
11	74.972020	13.832608
12	74.989609	13.797874
13	74.986593	13.742559
14	74.992518	13.719951
15	74.998430	13.737618
16	75.002085	13.760280
17	75.012340	13.759249
18	75.005340	13.737003
19	75.016619	13.751217

20	75.018288	13.732285
21	75.004945	13.728293
22	74.994979	13.718223
23	75.022953	13.695735
24	74.979356	13.685478
25	74.957693	13.657924
26	74.924366	13.645105
27	74.944449	13.675265
28	74.970374	13.697837
29	74.970956	13.712209
30	74.987843	13.719489
31	74.968627	13.729395
32	74.945675	13.730352
33	74.928046	13.735256
34	74.896022	13.726358
35	74.881683	13.704067
36	74.832103	13.689830
37	74.784163	13.697581
38	74.735391	13.728392
39	74.764263	13.773862
40	74.787012	13.803616
41	74.815317	13.836451
42	74.781592	13.814247
43	74.766177	13.819807
44	74.748542	13.856044
45	74.700631	13.854416
46	74.693225	13.892459
47	74.695826	13.902708
48	74.699569	13.909264
49	74.689047	13.915287
50	74.662891	13.924900
51	74.672153	13.938896
52	74.682818	13.943977
53	74.674334	13.945442
54	74.676285	13.953074
55	74.652929	13.945291
56	74.662647	13.957985
57	74.653443	13.966192

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.